न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक 109 निगरानी

(54)

निगरानी - 1309 - III / 09

01–वेदिया बेवा बोधिया कुम्हार उम्र 70 वर्ष।

02–जौहर पिता बोधिया कुम्हार उम्र 45 वर्ष।

03–सुक्खू पिता बोधिया कुम्हार उम्र 42 वर्ष।

04–कुन्जीलाल पिता बोधिया कुम्हार उम्र 30 वर्ष।

05–दस्सू पिता बोधिया कुम्हार उम्र 50 वर्ष।

सभी निवासी ग्राम करही कोठार तह0रघु0नगर जिला सतना म0प्र0————निगराकारगण

बनाम 1/3/16

है:-

(अ) श्रीमती बिरझी पत्नी स्व0 श्री ददना

(ब) संतोष पुत्र स्व0 श्री ददना

(स) बद्रीविशाल पुत्र स्व0 श्री ददना

(द) बबुआ पुत्र स्व0 श्री ददना

(इ) रजुआ पुत्र स्व0 श्री ददना

समस्त निवासीगण– ग्राम करही कोठार, तहसील रघुनगर, जिला सतना, म0प्र0

(क) श्रीमती बुट्टल पत्नी श्री रामखिलावन पुत्री स्व0 श्री ददना निवासिनी– ग्राम चित्रौराबाद, तहसील उचेहरा जिला सतना, म0प्र0

ददना - आवेदक क्र01 के वारिसान आदेश दिनांक 5/5/16 के तहत लेखबद्ध किया गया

द्वारा आज दि. 24-9-09 को प्रस्तुत। बनर सचिव/AS 24-9-09 राजस्व मण्डल ग्वालियर 2.55 P.M

रीवा संभाग रीवा के प्र0क0–76/अपील/08–09 में पारित आदेश दि. 10.02.09, अनुविभागीय अधिकारी रघु0नगर जिला सतना के रा0प्र0क0 –144/अपील/05–06 आदेश दि. 30.09.08 एवं नायब तहसीलदार वृत्त रैगांव तह0रघु0नगर जिला सतना के रा0प्र0क0–236/03–04 पारित आदेश दिनांक 24.04.06

मान्यवर,

प्रार्थी/निगराकारगण निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनयी है :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि गैर निगराकार क0–1 ददना ने बटनवारा नामान्तरण पंजी क0–1 आदेश दिनांक 23.01.94 के विरूद्ध आ0न0–142, व

24/9/09

Conti.......2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निग0 1309–तीन/2009 जिला –सतना

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
27–06–2016	आवेदक के अधिवक्ता श्री जे0एस0 गौड़ उपस्थित। अनावेदक क्र0 1 की ओर से श्री डी0एस0 चौहान उपस्थित। आवेदक अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 76/अपील/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय में मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है। 2– उभयपक्ष अभिभाषकों के तर्क श्रवण किये । अनावेदक अधिवक्ता की ओर से प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2 सतना का व्यवहार वाद क्रमांक 108–ए/2005 में आदेश दिनांक 25.08.2008 के विरूद्ध प्रथम अपर जिला न्यायाधीश सतना, प्रकरण अपील 60/2013 प्रस्तुत की गई थी, जिसका निराकरण आदेश दिनांक 04.12.2015 द्वारा हो चुका है । अतः अब इस न्यायालय में निगरानी चलने का कोई औचित्य शेष नहीं रह गया है । 3– प्रकरण का अवलोकन किया । अपर जिला न्यायाधीश के आदेश दिनांक 04.12.2015 का अवलोकन किया, जिसके द्वारा ही पक्षकार प्रश्नाधीन भूमियों के संबंध में व्यवहार वाद का निराकरण हो चुका है । व्यवहार न्यायालय के आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है । चूँकि व्यवहार न्यायालय से निराकरण हो चुका है इसके पश्चात् अब इस न्यायालय में	

R 1309-III/09 सतना

निगरानी प्रचलित रहने का कोई आधार शेष न होने से समाप्त किया जाता है । आवेदक सक्षम न्यायालय में वाद दायर करने हेतु स्वतंत्र है । प्रकरण दाखिल रिकॉर्ड ।

(के0सी0 जैन)
सदस्य